

परियोजना का नाम-वनपट्ट बागेश्वर के विनास रकड कपकोट में पैठाड़-दारसिंह  
खातीगांव नाभीसेरा से मन्तेला तक 9.50 मो. मार्ग का  
निर्माण

प्रपत्र- 23

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम दारसिंह

तहसील का नाम दुर्गापुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 0.90 हे० सिविल सोयम भूमि 0.90 हे० वन पंचायत भूमि 3.150  
... हे०) अर्थात् कुल 4.950 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत  
सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दारसिंह द्वारा दिनांक 18-7-15 को  
सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में  
अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के  
प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है  
अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी  
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण  
हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि  
ग्राम दारसिंह के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को  
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/-

कपकोट सिंह  
सरपंच

वन पंचायत दारसिंह  
ग्राम सचिव दारसिंह  
विकास खण्ड-कपकोट  
जिला-बागेश्वर

ह०/-

प्रधान Duwan Singh

ग्राम पंचायत दारसिंह  
बि०ख०-कपकोट, जिला बागेश्वर  
ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में चेंडा  
दारसिंह खातीगांव नाबीसेरा में भन्गोला तक 9.50  
मो. मार्ग का निर्माण,

प्रपत्र- 23

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम होराली  
तहसील का नाम दुग्गनाहुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 2.00 हे० सिविल सोयम भूमि 0.90 हे० वन पंचायत भूमि 3.10  
... हे०) अर्थात् कुल 4.95 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत  
सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुग्गनाहुरी होराली द्वारा दिनांक 19-9-15 को  
सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में  
अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के  
प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है  
अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी  
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण  
हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि  
ग्राम होराली के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को  
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव  
पंचायत होराली नाथीसेरा,  
पोस्ट-होराली, जिला-बागेश्वर  
उत्तरांचल - 261038

ह०/-

ग्राम प्रधान  
मालती देवी  
प्रधान  
ग्राम पंचायत होराली  
पोस्ट-कपकोट जिला-बागेश्वर



परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड रूपनोट में पैठाड़-  
दारसिंह श्वातीगांव नाबीसेरा से भन्तेला तक 9.50  
मी. मार्ग का निर्माण,

प्रपत्र- 23

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पैठाड़

तहसील का नाम दुर्गापुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 960 हे० सिविल सोयम भूमि 0.900 हे० वन पंचायत भूमि 3.150  
... हे०) अर्थात् कुल 4.950 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत  
सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुर्गापुरी पैठाड़ द्वारा दिनांक 2-9-15 को  
सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में  
अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के  
प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है  
अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी  
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण  
हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि  
ग्राम पैठाड़ के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को  
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/- Shankar

ग्राम सचिव

ह०/- [Signature]  
ग्राम पंचायत, लो०नि०वि०  
कपकोट, जिला बागेश्वर

ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर के विनास रणधु कपकोट में पैडा-टापि.  
रवात्रीगाव नावीसेरा से भन्तोला तक 9.50 मो. मार्ग  
का निर्माण

प्रपत्र- 23

दिनांक 2-9-15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत पैडा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	श्री राम	श्री राम
2	जोगाराम	जोगाराम
3	श्रीवा देवी	श्रीवा देवी
4	रमराम	रमराम
5	मानन्द प्रसाद	मानन्द प्रसाद
6	रुद्र प्रसाद	रुद्र प्रसाद
7	जैन राम	जैन राम
8	जोगाराम	जोगाराम
9	वडादे राम	वडादे राम
10	रुमाराम	रुमाराम
11	पद्मवन्ता सिंह	पद्मवन्ता सिंह
12	एन राम	एन राम
13	बलवान्त सिंह	बलवान्त सिंह
14	अमरपति	अमरपति
15	अमरपति	अमरपति
16	अमरपति	अमरपति
17	अमरपति	अमरपति
18	अमरपति	अमरपति
19	अमरपति	अमरपति
20	मानुली देवी	मानुली देवी

Shankar.

80/- ग्राम पंचायत संकलन विभागी  
केंद्र कपकोट, विनास रणधु  
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम - प्रपत्र-23  
वनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में  
पैडाड - दारसिंह खाड़ी गोव नालीसेरा से  
धन्तोला तक 9.50 मे. मार्ग का निर्माण

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

ग्राम पंचायत का नाम धन्तोला

तहसील का नाम कोड जिला बागेश्वर

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

हेतु आरक्षित वनभूमि 1.12.92 हे० सिविल सोयम भूमि 0.9.0 हे० वन पंचायत भूमि 3.150  
... हे०) अर्थात् कुल 4.950 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत  
सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धन्तोला द्वारा दिनांक 21-3-15 को  
सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में  
अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के  
प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है  
अथवा नहीं। उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी  
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण  
हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि  
ग्राम धन्तोला के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को  
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/-

ह०/-

ग्राम सचिव

शरपंच/सचिव

जगेश राय

ग्राम वन पंचायत धन्तोला

जिला बागेश्वर

28/12/2016

ग्राम प्रधान

अमर सिंह

सचिव

ग्राम पंचायत धन्तोला

क. व. कपकोट (बागेश्वर)



परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी, वाजेरवा  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
प्रमाण पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति - वाजेरवा

उपखण्ड वाजेरवा के अंतर्गत  
मन्तोलो मोठवांगी (कन्या) वन पंचायत भूमि, अंतर्गत कुल 0.900 हे. जमीन का क्षेत्रफल 4.950 हे. के तहत  
निष्काश लोक निर्माण विभाग प्रयोज्य एजेन्सी के तहत वन विभाग की मन्तोलो मोठवांगी वन पंचायत की  
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी के तहत वन विभाग की मन्तोलो मोठवांगी वन पंचायत की  
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (लहरी) द्वारा की गयी थी।  
सम्बन्धित बैंक की कार्यवाही का निवरण - 12/09/2015

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2009 के तहत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी प्रमाण पत्र  
की प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी प्रमाण पत्र  
प्रयोज्यता में आयोजित की गयी। बैंक में माननीय सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई।

- 1- श्री जैगाराय चौधरी उप जिलाधिकारी
- 2- श्री सुतोडनाथ त्रिपाठी प्रम गीठ वनवासी
- 3- श्री कालिदास त्रिपाठी सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री मंगलदास उपखण्ड स्तरीय समिति अध्यक्ष


उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा माननीय सदस्यों का मतदान में स्वीकृति प्राप्त हुई।  
की अनुमति से बैंक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई।


जनपद वाजेरवा के अन्तर्गत मन्तोलो मोठवांगी - मन्तोलो  
मोठवांगी 4.950 किमी

निष्काश रण्ड लोक निर्माण विभाग कृष्णा  
प्रयोज्यता एजेन्सी के तहत वन विभाग की मन्तोलो मोठवांगी वन पंचायत की  
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत मन्तोलो मोठवांगी वन पंचायत की  
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा स्वीकृति से वन विभाग की मन्तोलो मोठवांगी वन पंचायत की  
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है।


संबंधित उप पंचायत द्वारा मन्तोलो मोठवांगी  
परम्परागत वन निवासी एवं अधिनियम 2006 के तहत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी प्रमाण पत्र  
के प्राविधान के तहत वन विभाग की मन्तोलो मोठवांगी वन पंचायत की  
प्रतिनिधि, 2006 के अन्तर्गत वन विभाग की मन्तोलो मोठवांगी वन पंचायत की  
के तहत वन पंचायत प्रमाण पत्र के तहत वन विभाग की मन्तोलो मोठवांगी वन पंचायत की  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी प्रमाण पत्र के तहत वन विभाग की मन्तोलो मोठवांगी वन पंचायत की

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **वाजेखर** परिवर्तित करे निर्माण हेतु 4.950 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सहमति प्रदान करने पर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

  
 सहायक सहायक कल्याण अधिकारी  
 विकास खण्ड कपकोट  
 जनपद-बागेश्वर

  
 सहायक जिलाधिकारी / उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी सहायक  
 तहसील- **वाजेखर (दुगनापुरी)**  
 जनपद- **बागेश्वर**

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, **बागेश्वर** को सूचनाार्थ भूत उपखण्ड कपकोट

  
 सहायक सहायक कल्याण अधिकारी  
 विकास खण्ड कपकोट  
 जनपद-बागेश्वर


  
 सहायक जिलाधिकारी / उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी सहायक  
 तहसील- **बागेश्वर (दुगनापुरी)**  
 जनपद- **बागेश्वर**

Photo copy Attached  
  
 सहायक अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड लो: नि० वि०  
 कपकोट

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह  
-खातीगोंव- नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव  
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड- दारसिंह -खातीगोंव-  
नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.950 हे० वन भूमि  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एंजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु  
प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या  
11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क,  
नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन  
अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण  
हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups)  
व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिलाधिकारी  
बागेश्वर  
जिलाधिकारी  
बागेश्वर

P.C. Attested  
[Signature]

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड सो० नि० वि०  
कपकोट

प्रपत्र- 23.3

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह  
-खातीगॉव- नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव  
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह -खातीगॉव-  
नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.950 हे० वन भूमि  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम  
सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के  
तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व  
वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर  
अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी  
दावा लम्बित नहीं है।

P.C. Attested

जिलाधिकारी  
निर्माणखण्ड ला.  
कपकोट

जिलाधिकारी  
बागेश्वर

Office of the Deputy Commissioner  
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy Commissioner, Bageshwar on date 14/09/2015 at time 3:00 pm at Bageshwar in which application claiming rights in Chachai area measuring 4.950 hect for the Construction of power of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed and order the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Date: 14/09/2015

P. C. Altsted

सहायक जंगल  
निर्माण खण्ड सी० नि०  
कपकोट

Deputy Commissioner Chairman  
District Level Committee  
जिलाधिकारी  
बागेश्वर

Form-1  
(for liner project)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Bageshwer

Dated... 14/09/2015

**To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of applications for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5<sup>th</sup> feb 2013 wherein MOEF has granted certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.950 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwer for Construction of Phaithan, Darsingh, Khatigun, Natishera to Bhandola motor road (No. 9.500) in Bageshwer district falls within it is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.950 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexer ....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it;.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.

Enclosed- as above

Dated 14/09/2015

P.G. Attested  
निर्माण कार्य समाप्त  
कपकोट

Signature

(Bhupal Singh Manral)  
District Collector  
Seal जिलाधिकारी  
बागेश्वर

(Full name and official seal of the District Collector)

**Form-II**  
**(for liner project)**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector Bageshwer**

Dated...14/09/2015

**To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forests (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non proposed read with MOEF's letter dt. 5<sup>th</sup> feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear forest. It is certified that 4.950 heetares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Phaithan, Khatigun, Natishera to Bantola motor road (Length 9.500) in Bageshwer.**

Further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.950 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language ) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any . having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of **Phaithan/Darsingh Village (s)** is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

Encl: As above

*P. C. Attal*  
P. C. Attal  
निर्वाहक जिलाधिकारी  
कापोठ

5  
Bhup Singh Manral  
District Collector  
Bageshwar  
जिलाधिकारी  
कापोठ